क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–117/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री पदम चन्द जैन एम.एल. संख्या 02/2019, खसरा संख्या 1070,1071,1081,1124,1125 एवं 1127 क्षेत्रफल 1.5898 हैक्टेयर, ग्राम निजामपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा क्वार्टज एवं फेल्डस्पार खनिज क्लस्टर खनन परियोजना { श्री पदम चन्द जैन एम.एल. संख्या 02/2019 क्षेत्रफल 1.5898 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता 29880 टीपीए (आर.ओ.एम.), श्रीमति मीरा खारोल एम.एल. संख्या 172/2013 क्षेत्रफल 4.0101 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता–30000 टीपीए, श्री दिनेश कुमार सैनी एम.एल. संख्या 170/2013 क्षेत्रफल 4.9266 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता–45515 टीपीए, श्री दिनेश कुमार सैनी एम.एल. संख्या 171/2013 क्षेत्रफल 4.99 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता–40704.5 टीपीए, श्रीमति खुशबु सैन एम.एल. संख्या 44/2009 क्षेत्रफल 4.1242 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता–48048 टीपीए एवं श्री मक्खन लाल यादव एम.एल. संख्या 349/2004 क्षेत्रफल 4.42 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता–150000 टीपीए}, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 24.0607 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–344147.5 टीपीए ग्राम निजामपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर** से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **श्री पदम चन्द जैन** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–नसीराबाद, जिला–अजमेर।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, झड़वासा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/9473 दिनांक 15.07.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 28/08/2021** को **दोपहर 02:00 बजे, स्थान – राजीव गांधी सेवा केन्द्र, झड़वासा, तहसील नसीराबाद, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

Deepak Tanwar.

(दीपक तॅवर)
पर्यावरण अभियंता एवं
क्षैत्रीय अधिकारी